13/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्य व बहस दिनांक 28/8/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी।
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

28/8/25 पत्रावली पेश हु। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पेशी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
व्यस्त/अवकाश में पधारने से पत्रावली रीडर
दिनांक 25/9/25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

25/9/25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी उप०। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार सरकार उप०। जवाब पेश किया जिसकी नकल प्रार्थी को दिलाई गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 07.10.25 को पेश हो।

पैरोकार

7/10/25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी उप०। पैरोकार सरकार उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा ~~अवसर~~ साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। न्यायहित में एक अवसर प्रदान किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी एवं बहस दिनांक 16.10.2025 को पेश हो।

16/10/25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/10/2025 को पेश हो।

27.10.25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी उप०। सरकार पैरोकार उप०। विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे सिद्ध होता हो कि व्यक्ति व नकलिया एक ही व्यक्ति है। अतः पत्रावली साक्ष्य प्रार्थी के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। पत्रावली का फैसला सुनाकर बाद तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :– 116/23
उनवान :– कवरिया वगै0 बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :–27.10.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः– पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 116/23
दायर दिनाँक :– 20.10.2023
निर्णय दिनाँकः– 27.10.2025

उनवान :– कवरियां वगै0
बनाम
सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्री गजेन्द्र गौतम, अधिवक्ता प्रार्थीगण

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थीगण एवं सराकर पैरोकार उपस्थित। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित आराजी की जमाबंदी में प्रार्थीगण 1 लगायत 5 के पिता का नाम व 6 के पति का नाम " बक्षु " दर्ज हो रहा है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थीगण 1 लगायत 5 के पिता का नाम व 6 के पति का नाम " नकलिया " है। वर्तमान में प्रार्थीगणों के पिता/पति का देहांत हो चुका है।

प्रार्थना–पत्र के कथनों का समर्थन करते हुए अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना की उक्त नाम को दुरस्त करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में " बक्षु " के स्थान पर " नकलिया " दर्ज किया जाए। प्रार्थीगणों ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खाता संख्या नया 75 पुराना 81 की खसरा संख्या 602/556 रकबा 1.2950 है0 ग्राम रवांस्या पटवार हल्का रवांस्या तह0 मनोहरथाना सम्वत् 2075–2078 की प्रति प्रस्तुत की है।

पैरोकार सरकार ने वादी के प्रार्थना पत्र से असहमति जताते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से स्पष्ट होता है कि खसरा नं0 556 की आराजी 1.2950 है0 आवंटन की गई थी। वक्त आवंटन ही बक्षु पिता गेंदा जाति चमार के नाम से आवंटन होकर नामान्तरकरण दर्ज हुआ था। अतः उन्होने प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :– 116/23
उनवान :– कवरिया वगै0 बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :–27.10.2025

हमने प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया।

उक्त कथन के समर्थन में प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि " **बक्षु** " व " **नकलिया** " एक ही व्यक्ति है। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि नकल जमाबंदी खाता संख्या नया 75 पुराना 81 की खसरा संख्या 602/556 रकबा 1.2950 है0 ग्राम रवांस्या पटवार हल्का रवांस्या तह0 मनोहरथाना सम्वत् 2075–2078 में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम आवंटन पश्चात दर्ज रिकॉर्ड हुआ है। जबकि प्रार्थीगणों द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नही आये है तथा तथ्यों को छुपाकर एवं गुमराह कर अपने पिता/पति का नाम परिवर्तन का प्रार्थना–पत्र न्यायालय के समक्ष लाए है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)